प्रकरण सं0 ...171.....अनवान ...18...

Continuation Note Sheet

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27-11-19

वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31-12-19 को पेश हो।

06-12-19

वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। वादी अधिवक्ता के आवेदन पत्र आदेश 23 नियम 1 CPC पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधिवक्ता प्रतिवादी के द्वारा वाद को विड्रा करने के निवेदन पर एतराज किया गया एवं वाद निरस्त करने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वादी अधिवक्ता के आवेदन पर आदेश 23 नियम 1 सीपीसी के तहत इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली दायरा नाचार में कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

(मुकेश बोरेड़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2020.01.01 15:04:08 IST
Reason: SelfAttested